

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, फैक्स नं०-2224529

अल्पकालीन सूचना संख्या - 07 / 2019-20.

सचिवा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में सामान्य प्रशासनिक विभाग, बिहार सरकार का संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के तहत सचिवा के आधार पर नियोजन की अवधि से एक वर्ष तक के लिए निम्नलिखित पद पर नियोजन हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इच्छुक एवं पात्रता की शर्तों को पूरा करनेवाले उम्मीदवार “वाक-इन-इन्टरव्यू” हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। आवेदनकर्ता, निगम के वेबसाइट www.bpbcc.co.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की पठनीय स्वामिप्राप्ति छाया प्रति एवं आवेदन शुल्क के साथ दिनांक-11-11-2019 को संख्या 5:00 बजे तक निगम मुख्यालय सचिव का कार्यालय में उपरिषद्यत होकर अथवा निर्बन्धित डाक, सचिव, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना 800014, के माध्यम जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। सामान्य वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु० 200/- (दो सौ) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रु० 100/- (एक सौ) आवेदन शुल्क डिमार्ड ड्राइवर के माध्यम से “अद्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम” के पास में “पटना” में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत होना चाहिए। नियोजन हेतु अनारक्षित वर्ग (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला), अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा साम्य होगी। साक्षात्कार की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना निगम के वेबसाइट पर एवं निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी जायेगी अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।

पद का नाम

1. शोध सहायक (रसायनिक) 01 (एक) पद- (किसी भी संवर्ग का)
2. शोध सहायक (मिट्टी जॉव) 01 (एक) पद- (किसी भी संवर्ग का)
3. शैक्षणिक योग्यता - साम्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक भीतीकी, रसायन एवं गणित के साथ उत्तीर्ण।
4. पारिश्रमिक - रु० 17,000/- (रु० सतरह हजार) प्रति माह।
5. “वाक-इन-इन्टरव्यू” हेतु यात्रा भता देय नहीं होगा।
6. आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि को यदि किसी कारण अवकाश घोषित होता है तो अगले कार्यविवरों को उसी प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त की जायेगी।
7. इस नियोजन से संबंधित अन्य जानकारी अथवा शुद्धि पत्र एवं आवश्यक शर्ते निगम के www.bpbcc.co.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बिना कारण बताये हो/— सचिव

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
 (बिहार सरकार का उपक्रम)
 कौटिल्य नगर, पटना-800014.
संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन-पत्र

स्व अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साइज का
अद्यतन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक/आवेदिका का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. 01.10.2019 को आयु :
6. कोटि (सामान्य/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनु०जाति/
अनु०जनजाति/पिछङ्गा वर्ग/अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग) :
7. राष्ट्रीयता :
8. वैवाहिक स्थिति :
9. दूरभाष संख्या (एस०टी०डी० कोड सहित).....मोबाईल संख्या.....
10. ई—मेल :
11. पता (पिन कोड के साथ)
 - (i) स्थायी :
 - (ii) पत्राचार :

12. शैक्षणिक योग्यता :

(मैट्रिक से उच्चतम डिग्री तक)

क्र०सं०	उर्त्तीण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्रतिशत/गेड	उर्त्तीण होने का वर्ष	अन्युक्ति
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

13. अनुभव का विवरण :

क्र०सं०	संस्था का नाम/पता	धारित पद एवं दायित्व	अवधि		अनुभव का क्षेत्र	अभियुक्ति
			कब से	कब तक		
1.						
2.						
3.						
4.						

14. आवेदित पद हेतु अन्य कोई विशेष योग्यता/अनुभव :

(i)

(ii)

(iii)

15. संलग्न अभिलेखों की सूची :

(i)

(ii)

(iii)

16. डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि..... बैंक का नाम.....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे उपर भारत के राज्य एवं संघ के न्यायालय/पुलिस थाना/ओ०पी० में किसी भी प्रकार का न्यायाधिक (दीवानी/आपराधिक) वाद दायर नहीं है एवं भारत के राज्य एवं संघ किसी भी न्यायालय द्वारा न तो जमानत पर हूँ और न ही न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किया गया है, साथ ही उपर दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। भविष्य में किसी प्रकार की गलती साबित होने पर इसकी जबावदेही मेरी होगी तथा बिना किसी सूचना के मेरी उम्मीदवारी/नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

स्थान:

तिथि:

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर।

- नोट : (i) आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
(ii) दो अतिरिक्त स्व अभिप्रमाणित फोटो संलग्न किया जाये।
(iii) ₹ 100/- या ₹ 200/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट “अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम” के नाम पर होंगे तथा पटना में भुगतेय होंगे।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
 (बिहार सरकार का उपक्रम)
 कौटिल्य नगर, पटना-800014.

संविदा के आधार पर शोध सहायक रासायनिक एवं शोध सहायक मिट्टी जॉच नियोजन हेतु अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें :-

1. संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को एकमुश्त पारिश्रमिक रु0 17000/- (रु0 सतरह हजार मात्र) निगम द्वारा प्रतिमाह देय होगी इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/राशि देय नहीं होगा।
2. नियोजित कर्मियों का सरकार/विभाग की नियमित सेवा में इस नियोजन के आधार पर नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा एंव सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा इन्हें सरकारी सेवक को अनुमान्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।
3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा विनिश्चित की गई उम्र सीमा मान्य होगी।
4. उपर्युक्त सभी पदों के लिए उम्र की गणना के लिए दिनांक—01.10.2019 को कट ऑफ डेट माना जायेगा।
5. नियोजित कर्मियों को समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश आदि से संबंधित सुविधाएँ प्रदान की जायगी।
6. आवेदन—पत्र के साथ ₹ 100/- या ₹ 200/- का डिमाण्ड—ड्राफ्ट जो “अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम पटना” में देय हो, संलग्न होगा।
7. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को उनके गृह स्थान के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से आवासीय एवं जाति प्रमाण—पत्र/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण—पत्र निर्गत कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. जन्म तिथि उम्र के सत्यापन के लिए मैट्रिक के मूल प्रमाण—पत्र मान्य होगी।
9. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय से निर्गत मूल प्रमाण—पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति मान्य होगी।
10. आवेदन पत्र के साथ दो अतिरिक्त स्व अभिप्रमाणित फोटो संलग्न किया जाये।
11. नियोजन के उपरान्त योगदान के समय चयनिक अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी, जिन पर किसी न्यायालय में अपराधिक मामले की सुनवाई चल रही हो या चार्जशीटेड हो, इस नियोजन में आवेदन देने के योग्य नहीं होंगे। इसके लिए स्वच्छ चरित्र प्रमाण—पत्र का एक शपथ—पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. विज्ञापित पद (शोध सहायक रासायनिक एवं शोध सहायक मिटटी जॉच) पर नियोजन का निर्णय साक्षात्कार आधार पर निगम द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायगा। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आवेदकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 14. आवेदकों के अन्तिम रूप से चयन के उपरांत उनके द्वारा Non-Judicial Stamp अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद नियोजन प्रभावी होगा।
 15. संविदा अवधि 12 माह की होगी, जिसे कार्य मूल्यांकन के उपरांत संतोषप्रद सेवा की स्थिति में उनके अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा।
 16. नियोजनकर्ता के पास किसी आवेदन को रद्द करने, नियोजन को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 17. यदि जन्म/आवासीय/जाति/शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण-पत्र/चरित्र संबंधी शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के जॉच के समय या कालांतर में गलत या फर्जी पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का नियोजन रद्द कर उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जायगा।
 18. यदि अभ्यर्थी का परिणाम प्रतीक्षा सूची में प्रकाशित किया जाता है तो प्रतीक्षा सूची का वैधिक कार्यकाल परिणाम प्रकाशित तिथि से छः माह तक ही मान्य होगा उसके बाद प्रतीक्षा सूची स्वतः विलोपित मानी जाएगी।
 19. इस नियोजन से संबंधित विवाद के अपील का समय परिणाम प्रकाशित होने के तीन माह तक के लिए होगा एवं अपील के निपटारे के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के होगें एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।
- [Handwritten signatures and initials are present below the numbered list.]*